कार्यालय वन वृत्त भोपाल

खेल भवन 74बंगला, भोपाल दूरभाष 2674296 कार्या. 2674345

क्रमांक / मा.चि. / 3915 भोपाल, दिनांक 14 जून 2016

प्रति,

वनसंरक्षक एवं पदेन व.म.अ.
सामान्य वनमंडल भोपाल,

विषयः— श्यामला हिल्स भोपाल स्थित जज इन्क्लेव से लगी भूमि पर न्यायिक अधिकारियों के लिये आवास निर्माण हेतु वनसंरक्षण अधिनियम 1980 केतहत अनुमति बावत्।

संदर्भः—आपका पत्र क / मा.चि. / 1429 दिनांक 09 / 06 / 2015

—0—

विषयान्तर्गत श्यामला हिल्स भोपाल स्थित, जज इन्क्लेव से लगी, राजस्व वन भूमि पर न्यायिक अधिकारियों के लिये आवास निर्माण हेतु 2.000 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि के व्यपवर्तन बावत, वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव ऑन लाईन प्रस्तुत प्रस्ताव क्र / FP/MP/Others/17313/2015, ऑन लाईन प्रेषित किये जाकर संदर्भित पत्र द्वारा निर्धारित प्रारूप भाग II एवं वनमंडल स्तर के अन्य अभिलेख / आदि की पूर्ति उपरांत, प्रस्ताव की हार्ड प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई हैं।

उपरोक्ततानुसा प्राप्त ऑन लाईन प्रस्ताव एवं हार्ड प्रति का परीक्षण किया गया जिसमे निम्नानुसार कमियां / त्रुटियां परलक्षित हुई हैः—

1. निर्धारित प्रारूप भाग । अ.क्र. K के संबंध में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चयन की कार्यवाही पूर्ण होने के संबंध में संलग्न कलेक्टर का प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण हैं एवं पुराने प्रारूप पर हैं। उक्त प्रमाण पत्र, व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में होना चाहिये। जबकि, आपके द्वारा प्रकरण में दी जा रही गैर वनभूमि के संबंध तदानुसार प्रमाण पत्र संलग्न किया गया हैं। प्रकरण में प्रमुख सचिव म.प्र. शासन वन विभाग उनके ज्ञाप दिनांक 22 / 10 / 2013 (कार्या0पृ0क्र / मा.चि. / 8829 दिनांक 11 / 11 / 13 से आपको प्रेषित, छायप्रति पुनः संलग्न) द्वारा नवीन प्रारूप निर्धारित किये गये हैं, में ही, सही जानकारी देवें।
2. निर्धारित प्रारूप भाग ।। अ.क्र. 2 में आपके द्वारा व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र की वैधानिक स्थिति संरक्षित वन बताई गई है, जबकि, प्रकरण अन्तर्गत व्यवर्तन हेतु राजस्व वनभूमि प्रस्तावित हैं। कृपया परीक्षण करें।
3. निर्धारित प्रारूप भाग ।। अ.क्र. 4 में आपके द्वारा व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र का घनत्व 0 एवं श्रेणी 1 बताई गई है, तथा उक्त क्षेत्र में सागोन के विभिन्न गोलाई वर्ग के 80 वृक्ष प्रभावित होना बताया गया हैं। जबकि, आपके द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्षों की संख्या निरंक बताई गई हैं। कृपया स्वयं सूक्ष्मता से परीक्षण करें।
4. निर्धारित प्रारूप भाग ।। अ.क्र. 13 (vii) के अनुक्रम में क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना संलग्न की गई हैं। जिसमें आपके द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना की कुल राशि का, 10 प्रतिशत राशि पर्यवेक्षण शुल्क का प्रावधान रखा गया हैं। जबकि, अ.प्र.मु.व.स. (भू प्रबंध) के पत्र क्रमांक / 2646 दिनांक 2 / 09 / 11 (कार्या0पृ0क्र / मा.चि. / 8549 दिनांक 09 / 09 / 13 से आपको प्रेषित, छायप्रति पुनः संलग्न) के निर्देशानुसार पर्यवेक्षण शुल्क राज्य शासन के शासकीय विभाग को छोडकर अन्य समस्त आवेदको से लिया जाना हैं। परीक्षण कर तदानुसार सुधार करें।
5. निर्धारित प्रारूप भाग ।। अ.क्र. 14 (District profile) में आपके द्वारा जिले भौगिलक क्षेत्रफल, जिले का कुल वन क्षेत्रफल, एवं वर्ष 1980 से व्यपवर्तित क्षेत्रफल 2.000 हेक्टेयर, बताया गया है जो पूर्णतः गलत हैं। साथ ही स्वीकृत प्रकरण तथा दाण्डिक वृक्षारोपण, एवं क्षतिपूर्ती वनीकरण की प्रगति— वृक्षारोपण वनक्षेत्र में एवं वृक्षारोपण राजस्व क्षेत्र में, दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती हैं। कृपया परीक्षण कर सही पृविष्टि करे।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह सुनिश्चित् किया जावे कि, प्रस्ताव की हार्ड प्रति एवं मानचित्रों पर आपके एवं आवेदक के हस्ताक्षर भी हो एवं प्रस्ताव उल्लेखित बिन्दुओं के अनुक्रम ही अभिलेख / प्रमाण पत्र / जानकारी संलग्न की जावें, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख / प्रमाण पत्र जैसे— न्यून वनक्षेत्र उपयोग प्रमाण पत्र, एन.पी.व्ही. भुगतान प्रमाण पत्र, प्रतिपूरक वनीकरण राशि भुगतान वचन पत्र, पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क जमाकरने का विवरण, एवं आवेदक विभाग से अन्य कोई प्रोजेक्ट में जमा न की गई CA, NPV इत्यादि का विवरण आदि, प्रस्ताव के अन्त में लगाया जावें।

अतः आपसे प्राप्त प्रस्ताव मुलतः वापिस कर लेख कि, उपरोक्तानुसार बिंदुओ एवं उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई त्रुटि / कमियां हो तो, उसकी भी पूर्ति कर संशोधित प्रस्ताव ऑन लाईन तत्काल भेजे। साथ ही ऑन लाईन प्रस्तुत प्रस्ताव की हार्ड प्रति भी उसी दिन मूल संलग्नको सहित भेजना सुनिश्चित करें।

अतः कृपया प्रस्ताव भेजने से पहले आप स्वयं प्रस्ताव का परीक्षण करना सुनिश्चित करे एवं तदोपरांत ही प्रस्ताव इस कार्यालय को भेजे।

(अतुल कुमार जैन)
मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

E:\cf act year 2012\cf act Jan 2016 .doc

13/6/16

P.T.O.